Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

487

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र० क्र० /2015 नि०/2684/I/15

देवी सिंह पुत्र चिरोंजीलाल जाति किरार निवासी ग्राम बीझ तेहसील शमशाबाद जिला विदिशा मध्य प्रदेश -----रिवीजनकर्ता

बनाम

1 :- हुकमसिंह पुत्र निहालसिंह जाति किरार

2 :- करनसिंह पुत्र निहालसिंह जाति किरार

3 :- रामबाई बेवा निहालसिंह जाति किरार निवासी ग्राम बीझ तेहसील शमशाबाद जिला विदिशा म०प्र०

4 :- तेहसीलदार महोदय तेहसील शमशाबाद जिला विदिशा म०प्र० ---- प्रतिरिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०संहिता खिलाफ आदेश तारीख 18/8/2015 न्यायालय तेहसीलदार महोदय तेहसील शमशाबाद जिला विदिशा प्र० क्र० 6/अ-70/2014 2015 व मामले हुकमसिंह आदि बनाम देवीसिंह

श्री मान महोदय

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिरिवीजनकर्ता क्रमांक 1, 2, 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 250 म०प्र० भू०रा०संहिता का आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि सीमांकन में आराजी क्रमांक 18/2ख रकबा 1.672 हे० में से 0.508हे० भूमि रिवीजनकर्ता के कब्जे में पाई गई जिसे खाली कराया जाकर कब्जा सोपा जावे रिवीजनकर्ता ने तामील उपरान्त एक आवेदन धारा 32 म०प्र०भू०रा०संहिता का प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि सीमांकन के विरूद्ध विधिवत रिवीजन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है एवं दीवानी दावा स्वत्व समबन्धी प्रस्तुत किया जा चुका है ...

XXIX(a)-BR(H)-11

487

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2684-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	